न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00546

बद्रीलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिढोरा हाल निवास खाकी नगर ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र मथुरा लाल जाति बैरवा निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
2. महाराम पुत्र मथुरा लाल जाति बैरवा निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
3. द्वारका बाई पुत्री मथुरा लाल जाति बैरवा निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
4. सुगना बाई पुत्री मथुरा लाल जाति बैरवा निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
5. सूरज मल पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
6. धनराज पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
7. रतन लाल पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
8. दूली चन्द पुत्र चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
9. उर्मिला बेवा चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 25.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी (मृतक) भूली बाई बेवा स्व0 श्री मथुरा लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91

एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ढिंढोरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 62 की रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा दिनांक 10.03.1979 को नियमानुसार वादिनी को आवंटित हुई थी । उक्त भूमि सीलिंग सिवायचक थी जिसका खातेदारी का पट्टा वादिनी के नाम जारी किया गया है । वादिनी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही हैं । आराजी खसरा नम्बर 62 जिसके नम्बर जमाबन्दी पुरानी संवत् 2051 से 2054 के अनुसार 169/718 रकबा 0.41 हैक्टर है जो नहरी दोयम है एवं खसरा नम्बर 208/724 की रकबा 0.39 हैक्टर नहरी प्रथम कुल दो किता की 0.80 हैक्टर है जिसको संवत् 2055–58 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 169/714 रकबा 0.41 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 208/724 रकबा 0.39 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.80 हैक्टर दर्ज है जबकि पुराना खसरा नम्बर 62 था जिसके 02 बटा नम्बरान खसरा नम्बर 169/718 पुरानी जमाबन्दी में अंकित किया गया है और नयी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 169/714 की 0.41 हैक्टर दर्ज कर दिया गया है जिस पर सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलती करके मृतक रघुनाथ वल्द छोटू जाति कुम्हार का नाम गलत तौर से इन्द्राज कर दिया गया जबकि उक्त दोनों नम्बरान वादिनी के खाते में गैर खातेदारी में दर्ज है और वादिनी का ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है जिसे सेटलमेंट अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों द्वारा रकबा सवा 06 बीघा से कम करके 0.80 हैक्टर कर दिया गया है जो गलत है एवं काबिल दुरूस्ती है । उक्त भूमि वादिनी के कब्जे काश्त में चली आ रही है लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि स्व0 रघुनाथ वल्द छोटू के नाम दर्ज कर दी । वादिनी ने उक्त भूमि की समस्त बकाया किश्त जमा करवा दी थी और उक्त भूमि वादिनी के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी । सेटलमेंट अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण वादिनी के गैर खातेदारी में से निकालकर स्व0 रघुनाथ की आराजी में शामिल कर दी गई जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 62 जिसके नये खसरा नम्बर 169/714 रकबा 0.41 हैक्टर नहरी दोयम एवं खसरा नम्बर 208/724 रकबा 0.39 हैक्टर कुल 0.80 हैक्टर का इन्द्राज दुरूस्त कर वादिनी की गैर खातेदारी में पुनः दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तद्नुसार अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.04.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व यह देखना चाहिए था कि वादी द्वारा जिस खातेदार के विरूद्ध मुख्य अनुतोष खातेदारी घोषणा बाबत् चाही गयी है उन सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है या नहीं । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायलाय ने सरसरी एवं गैर कानूनी तरीके से निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट क्रम 5 एवं 6 को पक्षकार बनाया गया था जबकि उक्त आराजी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 7 व 8 का हित भी निहित था । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 7 से 9 को पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 169/714 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 208/7245 रकबा 0.39 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.80 हैक्टर वाले ग्राम लक्ष्मीपुरा में स्थित है । उक्त आराजी में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा बनता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्व पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त आराजी में अपना हित–निहित होना बताया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं को हितबद्व पक्षकार होने का कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण के द्वारा एक दावा खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । जिन खातेदारों के विरूद्ध सहायता चाही गई थी उन समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था फिर भी गैर कानूनी रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट कम 5 लगायत 09 का हित–निहित है जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 5 व 6 को पक्षकार बनाकर दावा पेश किया था । अपीलान्ट धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील कर रहे हैं । पटवारी के द्वारा भी डिक्री की पालना करते समय यह नोट अंकित किया गया है कि समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादिनी को सन् 1979 को आवंटित हई थी और गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । साबिक आराजी खसरा नम्बर 62 के नये नम्बर 169/714 एवं 208/724 कुल 02 किता की 0.80 हैक्टर कायम किये गये है जो रघुनाथ वल्द छोटू नाम गलत तौर पर दर्ज किया गया । आराजी वादिनी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रघुनाथ की मृत्यु के बाद आराजी रघुनाथ के लडकों के नाम आ गई । आराजी जिनके कब्जे में थी उनको पक्षकार बनाया गया था । वादिनी अनुसूचित जाति की सदस्य है जिनके खाते की भूमि सवर्ण जाति के खाते में दर्ज नहीं

की जा सकती । जिन्हें पक्षकार बनाया गया था उनके द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज नहीं हैं । रेस्पोडेन्ट वादीगण ने धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी दिया था । तहसीलदार से रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है और विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया गया है । डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज की जा चुकी है । अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट चाहे तो पृथक दावा कर सकते हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श– 5 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रघुनाथ वल्द छोटू के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श– 6 नकल नामान्तरकरण संख्या 998 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 7, 5, 6, 8, 9 के खाते में दर्जे है और रेस्पोडेन्ट वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इनमें से मात्र सूरजमल और धनराज को ही पक्षकार बनाया गया है । शेष सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । घोषणा के दावे में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य होता है क्योंकि यदि दावा डिक्री होता है तो वह इन सहखातेदारों के हित प्रभावित होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दावा वादीगण डिक्री करने विधिक त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 निरस्त किया जाता है । प्ररकण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा